रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247345
CG-DL-E-14072023-247345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3012] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
No. 3012] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

का.आ. 3141(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. सं. 680 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012 द्वारा अधिसूचना जारी की थी;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और उचित है;

और जबकि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि यह अधिसूचना संख्या का.आ. 680 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. सं. 680 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012 के द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 2 में, -

(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.

(ख) उप-पैरा (6) में, "और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन", शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ii) पैरा 4 में, उप-पैरा (2) में खंड (क) से (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्: -

क्रम संख्या	व्यवस्थापक	पद
(i)	आयुक्त, कोल्हान राजस्व प्रभाग	अध्यक्ष;
(ii)	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 16) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	खनन विभाग का एक प्रतिनिधि, झारखण्ड सरकार	सदस्य;
(v)	उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	सिंचाई विभाग, झारखण्ड सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	लोक निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि (विरासत संरक्षण सहित) प्रत्येक मामले में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(x)	क्षेत्रीय अधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रांची	सदस्य;

IndiaCode

(xi)	वरिष्ठ नगर नियोजक, झारखण्ड सरकार	सदस्य;
(xii)	प्रत्येक मामले में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xiii)	दलमा वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी मंडल वन अधिकारी	संयोजक"।

[फा. सं. झारखंड/1/2011-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 680 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

S.O. 3141(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 680 (E), dated the 29th March, 2012;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 680 (E), dated the 29th March, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 680 (E), dated the 29th March, 2012, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 2, –

(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall, prepare a Zonal Master Plan, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the date of publication of this amendment notification.";

(b) in sub-paragraph (6), the words, "and approval thereof by the Central Government", shall be omitted;

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (2) for clause (a) to (h), the following clauses shall be substituted, namely:-

"

Serial number	Constituents	Designation
(i)	The Commissioner of Kolhan Revenue Division	Chairman;
(ii)	A representative of the Central Pollution Control Board, constituted under subsection 1 of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (**1** 6 of 1974)	Member;
(iii)	A representative of the Department of Forests and Environment, Government of Jharkhand	*Member;*
(iv)	A representative of the Department of Mines, Government of Jharkhand	Member;
(v)	A representative of the Department of Industries, Government of Jharkhand	Member;
(vi)	A representative of the Department of Revenue, Government of Jharkhand	Member;
(vii)	A representative of the Department of Irrigation, Government of Jharkhand	Member;
(viii)	A representative of the Department of Public Works, Government of Jharkhand	Member;
(ix)	A representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period not exceeding 3 years in each case	Member;
(x)	The Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi	Member;
(xi)	The Senior Town Planner, Government of Jharkhand	Member;
(xii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a period not exceeding 3 years in each case	Member;
(xiii)	The Divisional Forest Officer, In-charge of the Dalma Wildlife Sanctuary	Convener".

[F. No. Jharkhand/1/2011-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 680 (E), dated the 29th March, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.14 21:38:32 +05'30'